न्यायालय उपखण्ड अधिकारी भिनाय, जिला अजमेर
(पीठासीन अधिकारी प्रशांत त्रिपाठी)
आर.ए.एस

प्रकरण सं.:- 33/2020

1. श्री रामदेव पुत्र श्री पन्ना जाति रावत निवासी खेडी तहसील भिनाय जिला अजमेर

वादी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये श्रीमान तहसीलदार महोदय, तहसील भिनाय जिला अजमेर
2. श्रीमति रतनी पत्नि श्री गोपी जाति रावत निवासी खेडी तहसील भिनाय

प्रतिवादीगण

उपस्थित :- श्री धर्मवीर बामनिया अधिवक्ता वादी
श्री गजानन्द रावत अधिवक्ता प्रतिवादी सं. 2
पैराकार सरकार

वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 व 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 एवं सपठित धारा 136 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम

आदेशः- प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी.

निर्णय दिनांक 13.12.2022

वकील पक्षकारान उपस्थित। संक्षिप्त में प्रकरण इस प्रकार है कि मौजा खेडी पटवार हल्का खेडी भू.अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र छछून्दरा तहसील भिनाय के जमाबंदी संवत 2072-2075 के खाता सं. 204 मे दर्ज खसरा नं. 2190/24 रकबा 0.02 व 2191/24 रकबा 0.17 किता- 2 रकबा 0.19 है0 भूमि को लेकर वादी ने वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 व 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम एवं सपठित धारा 136 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम का पेश कर वादग्रस्त भूमि वादी की विभाजनशुदा खातेदारी होने के आधार पर प्रतिवादी सं. 2 का नाम विलोपित कर तन्हा खातेदार काश्तकार घोषित करने हेतु निवेदन किया।

प्रकरण दर्ज कर अप्रार्थीगण को जर्ये सम्मन तलब किया। प्रतिवादी सं. 2 की ओर से अधिवक्ता गजानन्द रावत ने वकालतनामा पेश कर प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 जाप्ता दीवानी प्रस्तुत किया। अधिवक्ता प्रतिवादी सं. 2 ने प्रार्थना पत्र में बताया कि विचाराधीन प्रकरण की प्रश्नगत आराजी खसरा नं. 2190/24 रकबा 0.02 किस्म गै0मु0ढाबा अकृषि प्रयोग की भूमि है जिसके संबंध में माननीय राजस्व न्यायालय को श्रवणाधिकार नहीं होने से वाद पत्र खारिज योग्य है। प्रश्नगत आराजी के प्रयोग एवं किस्म के संबंध मे वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र के पैरा सं. 4 मे गै.मु.ढाबा होना स्वयं स्वीकार किया है। उन्होने बताया कि प्रश्नगत आराजीयात प्रतिवादी सं. 2 की जरिये पंजीबद्ध विक्रय पत्र दिनांक 21.03.2005 से खरीदशुदा आराजीयात है। जिस पर खरीद दिवस से ही प्रतिवादी सं. 2 का कब्जा काश्त-स्वामित्व चला आ रहा है। वादी द्वारा न्यायालय के समक्ष झूठे कथन प्रस्तुत कर प्रतिवादी सं. 2 की खरीदशुदा आराजीयात को हडपना चाहता है। उन्होने बताया कि प्रतिवादी सं. 2 बतौर खातेदार काश्तकार दर्ज है। प्रतिवादी सं. 2 के पक्ष में निष्पादित रजिस्टर्ड विक्रय पत्र को निरस्त करने का क्षेत्राधिकार सिविल न्यायालय को है तथा बिना रजिस्टर्ड दस्तावेजात निरस्त किये माननीय न्यायालय को वाद सुनने का क्षेत्राधिकार नही है। अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 जाप्ता दीवानी स्वीकार फरमाकर वाद पत्र खारिज करने का अनुरोध किया।

वादी अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना का प्रत्युत्तर प्रस्तुत कर बताया कि प्रश्नगत आराजीयात वादी को जरिये सहखातेदार के आपसी विभाजन बंटवारा स्वरूप प्राप्त है। प्रश्नगत आराजीयात का वादी तन्हा खातेदार काश्तकार है। वादी के विभाजन स्वरूप प्राप्त भूमि में प्रतिवादी सं. 2 का नाम

उपखण्ड अधिकारी
भिनाय (अजमेर) राज

Scanned with CamScanner

की गलती के कारण वादी के साथ पुनः नाम इन्द्राज करने के कारण वाद पत्र
लाजमी आया है । जिसके सबंध में समस्त श्रवणाधिकारी श्रीमान राजस्व न्यायालय
रक्षित है। प्रश्नगत आराजीयात का वादी तन्हा खातेदार काश्तकार है, विभाजन स्वरूप
ने से वादी द्वारा मै0मु0ढाबा मे व्यावसायिक प्रयोजन हेतु संपरिवर्तन करवाया गया है।
वादी स. 2 का नाम राजस्व कार्मिकों की गलती के कारण वादी के साथ पुनः नाम इन्द्राज
करने से वाद पत्र प्रस्तुत कर प्रतिवादी सं. 2 का नाम विलोपित कर राजस्व रिकॉर्ड की दुरूस्ती
करना न्यायसंगत है। जिसका संपूर्ण अधिकार माननीय राजस्व न्यायालय को ही प्राप्त है। वादी
द्वारा प्रतिवादी सं. 2 के पक्ष मे किसी प्रकार का कोई विक्रय पत्र निष्पादित नहीं करवाया है।
प्रतिवादी स. 2 द्वारा मिथ्या कथन न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर वादी की भूमि को हड़पने का
प्रयास किया है जो विधि सम्मत नही है। अतः राजस्व रिकॉर्ड मे उपरोक्त वाद वर्णित आराजी
मे बिना किसी आधार के प्रतिवादी सं. 2 के नाम दर्ज कर दी गई जो कतई गलत होने से
दुरूस्त होने काबिल है जिसका निस्तारण वाद बिन्दु बनाकर किया जाना आवश्यक बताते हुए
प्रतिवादी सं. 2 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अस्वीकार किए जाने का निवेदन किया।

प्रार्थना पत्र के सन्दर्भ मे बहस उभयपक्षान नियत की गई। प्रतिवादी सं.2 के अधिवक्ता ने दौराने
बहस अपने समर्थन मे प्रार्थना पत्र में दर्शित कारणों को दोहराकर रजिस्टर्ड दस्तावेज को प्रभाव
शून्य घोषित कराने का क्षेत्राधिकार राजस्व न्यायालय को नहीं होने से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश
7 नियम 11 जाप्ता दीवानी स्वीकार किए जाने का पुरजोर निवेदन किया।

वादियागण अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना पत्र के सन्दर्भ में दौराने बहस कथन किए कि वादी द्वारा वाद
पत्र के पैरा सं. 1 मे वर्णित भूमि के बाबत घोषणात्मक वाद पत्र प्रस्तुत कर उक्त आराजीयात में
प्रतिवादी सं. 2 का नाम विलोपित कर वादी को प्रश्नगत आराजीयात का तन्हा खातेदार
काश्तकार घोषित किये जाने बाबत आनुतोष चाहा है। उन्होंने बताया कि प्रश्नगत आराजीयात
वादी के विभाजन स्वरूप प्राप्त आराजीयात है, वादी के कब्जे,काश्त में चली आ रही है। प्रतिवादी
सं. 2 ने वाद वर्णित आराजीयात को मिलीभगत कर वर्तमान जमाबंदी में प्रतिवादी सं.2 का नाम
बतौर सहखातेदार दर्ज करवा लिया है। जो गलत है। जिसकी दुरूस्ती हेतु वाद पत्र प्रस्तुत
किया गया हैं जिसका श्रवणाधिकार माननीय न्यायालय कों प्राप्त है। वादी द्वारा माननीय
न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत वाद पत्र किसी भी प्रकार से विक्रय पत्र के निरस्तीकरण से संबंधित
नहीं है, ना ही विक्रय पत्र को किसी भी प्रकार से वाद में वर्णित कर संदर्भित किया गया है।
प्रस्तुत वाद में वादीगण द्वारा केवल मात्र घोषणा का आनुतोष प्राप्त करने हेतु निवेदन किया गया
है। उक्त अनुतोष प्रदान किये जाने का क्षेत्राधिकार केवल मात्र राजस्व न्यायालय को है। वादी
द्वारा कहीं भी उक्त विक्रय पत्र का ना तो हवाला दिया है और ना ही अभिवचनित किया है।
वादी ने स्पष्ट रूप से कथन किया है कि प्रतिवादी सं. 2 ने मिलीभगत कर वादी की खातेदारी
की आराजी में बिना किसी आधार के बतौर सहखातेदार दर्ज करवा लिया है। वादी ने उक्त
अभिवचन करते हुए प्रतिवादी सं. 2 का नाम राजस्व रिकॉर्ड से विलोपित करते हुए आराजीयात
तन्हा रूप से वादी के नाम दर्ज करने का निवेदन किया है। उन्होंने बताया कि प्रतिवादी सं. 2
द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र किसी भी प्रकार से आदेश 7 नियम 11 जाप्ता दीवानी के प्रावधानों की
श्रेणी में नहीं आता है, ना ही प्रतिवादी सं.2 ने अपने प्रार्थना पत्र में ऐसा कोई प्रावधान अथवा
विधि का उल्लेख किया है, जिससे यह स्पष्ट हो कि वादीग द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र की सुनवाई
का क्षेत्राधिकार माननीय न्यायालय को इस प्रकार प्राप्त नहीं है। प्रतिवादी सं. 2 द्वारा प्रस्तुत
प्रार्थना पत्र केवल मात्र प्रकरण को विलम्ब करने की नियत से प्रस्तुत किया गया है जो काननून
चलने योग्य ना होकर खारिज होने योग्य है। अतः प्रतिवादी सं. 2 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र
अस्वीकार किए जाने का अनुरोध किया।

पक्षकारान वकीलों की बहस पर मनन किया एवं प्रकरण पर उपलब्ध तथ्य रेकॉर्ड का अवलोकन करने पर पाया कि प्रश्नगत आराजीयात में प्रतिवादी सं. 2 का नाम जरिये पंजीबद्ध विक्रय पत्र जो कि स्वयं वादी द्वारा निष्पादित कराया गया है, के आधार पर नामान्तकरण सं 259 दिनांक 25.03.2005 राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है (ग्राम खेडी जमाबंदी संवत 2060–63

उपखण्ड अधिकारी
भिनाय (अजमेर)

उपखण्ड अधिकारी
भिनाय (अजमेर) राज

Scanned with CamScanner

स्पष्ट अंकन किया गया है) जो पूर्णतया विधिसम्मत है। वाद पत्र में वर्णित प्रतिवादी सं.2 के नाम पर रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के आधार पर राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज परिवर्तित किया जाना बिना पंजिबद्ध दस्तावेज अर्थात विक्रय पत्र को अवैध अथवा शून्य घोषित कराए जा सकता है, जिस हेतु सिविल न्यायालय में वाराजोही की जाकर वांछित अनुतोष प्राप्त किया जा सकता है, राजस्व न्यायालय को सिविल प्रकृति के प्रकरण निस्तारित करने का कोई अधिकार प्राप्त नही है। वादी द्वारा प्रकरण राजस्व रिकॉर्ड की दुरूस्तीकरण संबंधी बताया गया है जो पूर्णतया अस्वीकार है।

—:आदेश:—

उपरोक्त स्थिति में प्रतिवादी सं. 2 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 वास्ते वाद खारिज करने एवं वास्ते राजस्व न्यायालय को रजिस्टर्ड दस्तावेज प्रभाव शून्य घोषित कराने का अधिकार नहीं होने से स्वीकार किया जाता हैं तथा मौजा खेडी पटवार हल्का खेडी भू. अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र छछून्दरा तहसील भिनाय के जमाबंदी संवत 2072–2075 के खाता सं. 204 में दर्ज खसरा नं. 2190/24 रकबा 0.02 व 2191/24 रकबा 0.17 किता– 2 रकबा 0.19 है0 भूमि बाबत प्रस्तुत वाद पत्र सिविल प्रकृति का होने से वादीगण का वाद खारिज किया जाता हैं। यथानुसार डिक्री पर्चा जारी हो। प्रार्थना पत्र फैसल शुमार दर्ज होकर नम्बर से कम हो बाद तामिल तकमील होकर पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 13.12.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी भिनाय (अजमेर)

(प्रभात त्रिपाठी)
उपखण्ड अधिकारी
~~उपखण्ड अधिकारी~~
~~भिनाय (अजमेर)~~
भिनाय (अजमेर) राज

Scanned with CamScanner